The Research Dialogue

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
Volume-2, Issue-1, April-2023
www.theresearchdialogue.com

अपराधियों के अपराध का समाजशास्त्रीय शोध के सन्दर्भ में

रामनरेश

शोधछात्र

महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली (उप्र)

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपराध का अध्ययन एक प्रासंगिक अध्ययन है। जिसमें आर्थिक, सामाजिक एवं सस्कृति और परिस्थित की जन्म महौल व पर्यावरण में वैश्वीकरण तेजी से बदलता जा रहा है जिसका प्रभाव मानव जगत पर पड़ रहा है। जिसने सामाजिक एवं साँस्कृतिक प्रति मानदण्डो व मूल्यों और अनुशासित में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन स्पष्ट रूप से अवलोकित हो रहे है। जो विभिन्न प्रकार के घातक अपराधों को जन्म दे रहे जिससे समाज मे विसंगति का जन्म हो रहा है। समाज दूषित एवं दुखी हो रहा है। विभिन्न समाज शास्त्रियो एवं अपराध शास्त्रियो ने अपराध को परिभाषित किया है जो निम्नवत है।

सदरलैण्ड के अनुसार- 'अपराध सामाजिक मूल्यों के लिए घातक कार्य है, जिसक लिए समाज दण्ड की व्यवस्था करता है।

'भर्सस्टन सेलिन के अनुसार " अपराध मानव के मूल्यों, नियमों, विधानों और आदर्श व्यवस्था के व्यवहारों का उल्लंघन है।

सेठना के अनुसार - "अपराध वह कार्य या त्रुटि है जिसका किसी विशेष समय पर राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार दण्डनीय है। "

अतः कानून की दृष्टि के आधार पर अपराध दो प्रकार के होते हैं। -

(1) सामान्य अपराध (2) जघन्य अपराध

कोई भी व्यक्ति समाज में अपराध क्यों करता है? इसके भी कारण हो सकते हैं। कुछ व्यक्ति व्यक्ति जन्म से अपराधी होते हैं, तो कुछ व्यक्ति परिस्थितियो वश आकार अपराध करते है। लेकिन जहाँ तक मानना है कि व्यक्ति स्वयं अपराधी नहीं होता है बल्कि समाज अपराधी बनाने कार्य करता हैं | क्योंकि समाज उसे अपराधी बनने का अवसर प्रदान करता है। कभी - २ समाज व्यक्ति पर दवाब बनाने लगता है और अपराधी होने का चस्पा लगा देता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपराधी नहीं होता है फिर अपराधी बनना पड़ता है।

विधि सम्बन्धी अपराध- न्यायाधीश, डॉक्टर पुलिस अधिकारियो द्वारा घुस लेकर मामलों में बदलाव कर देते है। कभी-कभी पुलिस अधिकारी अपराधी व्यक्ति हो घूस लेकर क्षतिग्रस्त व्यक्ति के विरुद्ध उल्टा कार्य वाही शुरू कर देते हैं, जिसने पीड़ित व्यक्ति पर अत्याचार किया जाता है। जिसमे भारतीय विधि संहिता का शोषण होता है। सविधान के सविधिक लेखपर आघात लगता है, जिससे प्रजातान्त्रिक सरकार को कड़ा से कड़ा कानून का समर्थन करना चाहिए जिससे प्राकृतिक को अपेक्षा सामाजिक एवं परिस्थिति के महौल के आधार पर अपराधी को दण्ड दिया जाना चाहिए जिसमे वृद्ध, पालक और पागल व्यक्ति को अपराध में में न शामिल किया जाये यदि दण्ड मे शमिल भी किया तो शारीरिक एवं मानसिक स्थिति के आधार पर दण्ड प्रदान किया जाये।

मनोवैज्ञानिको का मानना है। किं व्यक्ति के अन्दर निहित हीनभावना अपराधिता को जन्म देती है और पर्यावरण भी व्यक्ति को अपराधी बनाने में सहायक विद्व होता है। जैसे जेब काटना, धोखा धडी करना, गबन करना, अग्निकाण्ड, सरकारी अधिकारियों एवं राजनेताओ द्वारा अपने पद पर घूस लेना, भ्रष्टाचार, ठागिया वेश धारण करके ठगना, मिया प्रतिनिधित्व करता, विश्वास घात करना, मदिरा सेवन करना आवारागर्दी , आवारागर्दी एवं गुंडागर्दी करना और अनेक अनैतिक कार्यो मे लिप्त रहना और जानबूझकर इरादतन कानून का उल्लंघन करना, अशिष्ट एवं अश्लील भाषा का प्रयोग करना, निरुद्देश्य स्टेशन या रेल की पटरी पर घूमना, चलती गाड़ी से कूटता मादक वस्तुओं का सेवन करना, वैश्यावृत्ति करना, भीख माँगना, सड़क पा पकी में सोना , मादक वस्तुओ को एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर बेंच देना। रात को सोते ' वक्त सेंधमारी करना, दुकानो एवं गोदामों के शटर तोड़ देना/हत्या कर देना।

अपराधी घर घुसकर, घर पर बालों को अस्त्र-शस्त्र के बल पर धमका - कर तिजोरी और बक्से की चाबी लेकर सम्पूर्ण धन एवं गहना की लूटकर लेते है। और आसानी से घर से बाहर हो जाते है। उच्चतर आय वाली लोनियों में लूट का ठिकाना बनाते है। जब कि आधुनिक समय में कैमरा तंत्र को असफल करने में सहायक है। चोरों से अधिक हिम्मत वाले लुटेरे होते हैं जो रात या दिन का इन्तजार नही करते है। उन्हें जैसे अवसर मिलता है वैसे ही लूट -पाट कर लेते है। कभी-

कभी लूट -पाट के चक्कर मे गोली के शिकार हो जाते है या परिवार के परिवार नष्ट कर देते है। लुटेरे निडर निर्भीक और अवसरवादी होते हैं

संगठित अपराध-बड़े बड़े महानगरों में संगठित अपराधी गिरोह है, जो अपराध के क्षेत्र में संगठन, अनुशासन, आज्ञाकारिता और सहयोग के रूप में कार्यरत है जैसे कानपुर वाराणसी,झाँसी ,और मुरादाबाद महानगर में है। इनका गिरोह एक महानगर से दुसरे महानगर मे कार्यरत है। बड़े-बड़े जघन्य अपराधों को इल्जाम देते है। जैसे हत्या, फिरोती आदि।

संगठित अपराधी सुरक्षित कोष की स्थापना, एकाधिपत्यं प्रवत्तियां सुरक्षात्मक उपाप, व्यवहार सम्बन्धी नियम। संगठित अपराध तथा संगठित व्यवसाय दोनों में सामान प्रवत्तियां दृष्टिगोचर होती है। दोनो को समान विशेषज्ञों से संगठन श्रम विभाजन तथा जोखिम भरे खतरे के विरुद्ध सुरक्षा मिलती है। अन्तर केवल इतना है कि संगठित व्यवसाय में वैध साधनों का प्रयोग करके धनोपार्जन किया जाता है। जबकि संगठित अपराध मे अवैध साधनो एवम तरीकों का प्रयोग किया जाता है। संगठित अपराधियों की निम्नलिखित विशेषताए होती है।

1. संयुक्त कार्य –अपराधी सयुक्त रूप से मिल-जुलकर अपराध को – इल्जाम देते है एक दुसरे के प्रति अनुशासित होकर सतर्कता का प्रयोग करते है। कार्य के प्रति निर्भीक एवं निडर होते हैं। सरगना को सर्वोपरि बात का पालन किया जाता है।

2. सोपनिक संरचना -संगठित अपराधियों के बीच सोपनिक व्यवस्था होती है जिसमे गिरोह का मुखिया सर्वोपरि होता है। और अन्य अपराधी सोपानिक पदाधिकारी होते हैं।

जिसके नीचे जलपान करने वाले और संदेश वाहक के पद पर भी कार्य करते हैं।

3- योजना - संगठित अपराधी व्यक्ति कार्य को इन्जाम देने के लिए पहले से योजना की रूपरेखा तैयार करते है। जिसमे कम खतरा एवं कम अजावधानी उठानी पड़े और अपराध करने मे सफल हो।

4. सुरक्षित कोष'- अपराधिक उपलब्धियों से प्राप्त धन को सुरक्षित कोष में जमा किया जाता है ओ अपराधिक जोखिमों के लिए पुलिस, वकील और राजनीतियों से मदद माँगने के लिए तथा पकड़े गये सदस्यों एवं उनेक परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूँजी का काम कर सके |

5. विशेषज्ञता - कुछ अपराधी संगठित गिरोह में अपने कार्य के प्रति कुशल होते हैं, जैसे किसी के खाते से रूपये निकल लेना , सफ्टवेयर सिस्टम को हैंग कर देना। इसकी विशेषज्ञता में श्रम विभाजन ,हिंसा, सुरक्षात्मक उपाय ,व्यवहार प्रतिमान आदि शामिल है।

संगठित अपराधियों के तीन ' प्रकार होते है।.

(D) गिरोह अपराध (2) दस्यु

(3) अभिषद अपराधी

(1) गिरोह अपराधी (Gang Criminals) – बल- पूर्वक धन ऐंठना, वाहन चोरी , दुकानों के शटर तोड़ना, लूट पाट करना, आग लगा देना, बड़ी से बड़ी चोरी करना धनी लोगों के बच्चों का अपहरण कर लेना और बच्चों के बदले में धनराशि की मांग करते है कभी-कभी धनराशि न मिलने पर बच्चों की हत्या करना आदि।

दस्यु - (Robbers) अपराधियों का एक ऐसा समूह जो अधिकतर जंगल, घाटियों, नदियों, बाहेर इलाको को अपना निवास स्थान बनाते है। अवैध हथियारों का अवैध व्यापार, लूटमार अपहरण डकैती डालना, लोगों को धमकी देना एवं सुन्दर लड़कियों को घर से या स्कूल जाते समय पकड़ लेना और उन्हे अपने दस्यु गिरोह में धमकी देकर शामिल कर लेना। उत्तर प्रदेश दस्युओं का केन्द्र रहा है। जैसे दस्यु सुल्ताना , मानसिंह राठौर, पान सिंह तौमर (1981) मुठभेड़ मारा गया, वीरप्पन चन्दन और हाथी के दांत का तस्कर, छविराम सिंह यादव गुनाहो का काल, गरीबो का भगवान, मलखान सिंह कुख्यात, श्रीकृष्ण एवं नेकराम कनौज एवं हरदोई का कुख्यात दस्यु, लालाराम, निर्भय गुर्जर, फूलन देवी ने २३ राजपूतो की हत्या, कुसमा नाइन ने 19 मल्लादो की हत्या , सीमा परिघर 70 हत्या 200 अपहरण जैसे मामलों सन् 2000 में 30 प्र0 के सामने आत्मसर्पण कर दिया। रेनू यादव का अपहरण करने वाला चन्दन यादव ने अपने गैंग में शामिल कर लिया। रेनू यादव हत्या ,अपहरण ,डकेती एवम के बहुत से मामले होने के कारण रेनू दस्य सुंदरी ने 2003 इटावा में आत्म समर्पण कर दिया। दस्युओं ने ऊ प्र मे हाहाकार मचा दिया उद्योगपति एवं व्यापार करने वालों से अवैध खानी करते हैं। कच्ची शराब मादक पदार्थों का अवैध व्यापार करने वालो को प्रोत्साहन देते।

(3) अभिषद अपराधी (Cyndicate criminals) - यह संगठित अपराधी गिरोह जिसे माफिया भी कहा जाता है।यह अवैध वस्तुओं और सेवा का कार्य है। अवैध वस्तुओं, नशीली दवाएँ और शराब आदि का व्यापार करते हैं। अभिषद् अपराधी योजना एवं विधि बनाकर बड़े-बड़े अपराध करते है जिनका एक निजी मुख्यालय होता है जहाँ पर उनके गुर्गे बैठते हैं। नजूल जमीन का

किसी नाम की जमीन धमकी के बल अपने नाम कराकर बेंच देते है या जबरदस्ती जमीन या मकान पर कब्जा जमा लेते हैं। कभी कभी धमकी व्यक्ति नही मानता है, तो उसकी हत्या करा देते है। राजनीतिक पार्टियों तथा राजनीति सत्ताधारियों के साथ मिलकर रहते है। ऐसी स्थिति ग्राम पंचायत एवं शहरी जमीनों को निशाना अधिक बनाते जहाँ तक लेखपाल एवं नायब तहसील दार को, रिश्वत देकर पट्टे या किसी रूप में कब्जा जमा लेते है। दलित, शोषित, वंचित वर्ग पर अत्याचार सर्व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम करते हैं। जब कोई राजनीतिक पार्टी सत्ता में आती है तो वह अपना शिकंजा कसती है। तो अभिषद अपराधी पार्टी की सदस्यता लेकर पार्टी का परचम लहराने लगते है।। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 से अभिषद अपराधियों के खिलाफ एक क्रान्ति का पादुर्भाव कर दिया जिसमें जमीने एवं इमारते सील कर दी उनको कारागार की सजा देदी गयी /अभिषद अपराधी कानून के शिकंजे जब तक नहीं कसता है तब तक समानित महानगरों को कालोनियो में निवास का आशियाना स्थापित करता है। अभिषद अपराधी लखनऊ, कानपुर दिल्ली, अहमदाबाद, जैसे महानगरों मे कार्यरत है।

व्यक्तिगत अपराधी (PerSONAL CRIMINAL) इसमें व्यक्ति स्वयं अपराधी कार्यों में लिप्त होता है और और कृत्यों का जिम्मेदार होता है। जैसे किसी बच्चे का अपहरण करना, महिला का का बलात्कार करना, वैश्यालय चलाना, फिरौती मांगना, मार-पीट करना, किसी दुकान पर चोरी कर लेना, महिला के गले से चैन खींच लेना, मोबाइल छीन लेना, जेब काट लेना, खाद्य एवं पेय पदार्थों में मिलावट करना, नकली नोट या सिक्कें ढालना, भूत-प्रेत, चुडैल भगाना, नौकरी लगवाने का झांसा देना, अंकपत्र या बोर्ड से परीक्षा पास करवाने की जिम्मेदारी लेना, बायवरफ के स्थान दायी ओर वाहन का संचालन करना, विना लाइसेंस के गाँजा, भाँग, चरस, अफीम, शराब आदि को विक्री करना, आदि झूठ विज्ञापन निकलवाना आदि।

आर्थिक अपराधी -(ELOMOMLC CRIMINAL) आधुनिक समय वैश्विक परिवेश में आर्थिक अपराध भौतिक जगत में सार्वभौगिक रूप लेता जा रहा है, जिसका कारण जनसंख्या वृद्धि एवं बिलासिता है। संसाधन सीमित होने के कारण आवश्यकताओं की पूर्ति किसी प्रकार से नहीं हो पा रही है। लेकिन आपदा में आवश्यकता के दर्शन होते है। व्यक्ति आर्थिक प्रलोभन के उन्मत में आकर किसी न किसी प्रकार से धन का दोहन कर रहा है। जिसका खामियाजा व्यक्ति एवं समाज सभी को दुष्प्रभावित करता है) जैसे सरसो के साथ प्याज, चाँदी एवं सोने के साथ मिश्रण मिलाकर असली के

भाव बेंच देते हैं। सरसों के साथ प्याज को कोल्हू में पेर कर बेचना आदि। व्यक्ति के विरुद्ध अपराध - बलाकार,मारपीट और जघन्य अपराध करते है। सम्पत्ति के विरुद्ध अपराथ-चोरी, राहजनी, डकैती, किसी की सम्पत्ति को गोली के बलबूते धमकाकर लिखवा लेना, अधिक धन को देखकर षड्यन्त्र रचकर मार देना आदि।

सार्वजनिक न्याय के विरुद्ध अपराध - यातायात नियमों का उल्लंघन, बिना लाइसेन्स अंग्रेजी दवाइयों का व्यापार करना, मादक पदार्थों का सेवन,गवन, धोखा धडी , वैश्यावृत्ति और भ्रूण हत्या आदि।

प्राकृतिक संसाधनों के विरुद्ध अपराध-- आधुनिक मानव भौतिकवादी होता जा रहा है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बरगद, पीपल, आम और नीम के वृक्षो काटता जा रहा है। प्राकृतिक सरोबर, नदिया, झीले बन्द कर रहा है। प्राकृतिक पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। जिससे जीवधारियों को साँस लेने में दिक्कत हो रही है। हजारो व्यक्तियोजान जोखिम में पड़ रही है। और कोरोना, तपेदिक, जैसी बीमारियाँ जन्म ले चुकी है। इसके लिए लोकवत्र को प्राकृतिक संसाधनों को विनष्ट करने वालों के खिलाफ मोचा खोले और कठिन से कठिन दण्ड का प्रावधान निर्धारित करायें।

चोरी- जब कोई व्यक्ति किसी चल सम्पत्ति किसी व्यक्ति के अधिकार से उसको बिना अनुमति अपराधिक नीयत से हटा लेन तो उसे चोरी का अपराध कहा जाता है।

बलात्कार-यदि कोई व्यक्ति जानबूझ कर किसी महिला का शील भंग कर देना, अनैतिक रूप से शारीरिक हानि पहुँचाना और उसके सम्मान एवं प्रतिष्ठा पर प्रश्नचिन्ह लगाना, आदि।

• लूट - किसी व्यक्ति को सम्पत्ति एवं धन को लूट लेना और लूट के माध्यम से धन-जन क्षति पहुँचाना। लूट करना एक सामाजिक एवं कानूनन अपराध है। ठगी. ठगी करना एक सामाजिक एवं कानून के अनुसार अपराध है।

ठगी- ठगी करना एकसामाजिक एवम कानून के अनुसार अपराध हैं ठगी ने एक प्रथा का रूप धारण कर लिया था जिसमें गरीब एवं असहाय व्यक्तियों क साथ उनकी सम्पत्ति एवं रुपये का हनन कर लेते है। वर्तमान समय में ठगी के लिए दण्ड का प्रावधान है।

डकैती - दस्यु गिरोह सम्मानित एवं प्रतिष्ठित पूँजीपतियों के घर को निशाना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से लूटता है। कभी-कभी परिवार के सदस्यों को मर देते हैं जिसका पता लगाना पुलिस को कठिन पड़ा जाता है। लगभग दो दशक से डकैती जैसे जघन्य अपराधों को रोका गया क्योंकि संचार के माध्यम से अधिक होगया और वस्तुनिष्ठता को बनाये रखने के लिए घरो , दफ्तरो एवं सार्वजनिक स्थानों पर कैमरा लगा दिये गये जिससे डकैतो एवं अपराधियों का भागना काठिन है। डकैती का दायरा धीरे-धीरे कम होता जा रहा है।

सेंधमारी - तीन दशक पहले ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरों में सेंधमारी अपराधी करते जैसे कच्ची दीवार पीछे खोदकर उसमे घुसकर घर का सारा सामान निकालने का अपराधी करते ताला तोड़ देना, खिड़की तोड़ देना, सेंधमारना , शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रो मे अधिक से अधिक सेंधमारी रात्रि के समय में चोरी करना आसान होता | अधिकतर सेंधमारी सावन एवं भाद्रपद महीने के कृष्णपक्ष में घनघोर वर्षा होते समय सेंधमारी अधिक से अधिक होती। जालसाजी- नकली मार्कसीट, प्रमाण पत्र व अन्य डिग्रियाँ और नकली नोट एवं सिक्के तैयार करके धनोपार्जन करते हैं। कालीमिर्च में पपीता का बीज मिलाकर, दाल में हल्की गिट्टी बेसन में मक्का या मटर का ऑटा मिलाकर तथा सरसो के तेल में मिलावट करके बेंच देना) कई बार सरसों के तेल के साथ जालसाजी करने पर लोगों की जाने चली गई जिसके आकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के पास हैं। जालसाजी करने वाले अपराधियों के लिए सरकार ने दण्ड का प्रावधान बनाया छल प्रपंच- छल प्रपंच भी अपराध का तरीका है। जिसमें विश्वास घात करके व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। मिथ्या प्रतिनिधित्व, सत्यवचन देकर अघात, खाद्य एवं पेय पदार्थो में मिलावट करके बेच देना और छल प्रपंच के माध्यम से दूसरे की सम्पति हड़प लेना और यहाँ तक व्यक्ति छल प्रपंच करके हत्या तक करवा देते हैं। साइबर अपराध LCyber Crime)- आधुनिक समाज तकनीकि समाज है। जिसका प्रभाव सम्पूर्ण समाज पर स्पष्ट अपना चित्रण प्रस्तुत करता है। समाज का सम्पूर्ण आर्थिक लेन-देन कम्प्यूटर पर आधारित है। समाज के बड़े बड़े शैक्षिक एवं आर्थिक संस्थाएँ डिजिटलाइजेशन को अपना माध्यम बना लिया है। एक तरफ विकास तो दूसरी तरफ हानि उठानी पड़ रही है। जैसे बैंक से खाता पर पड़े रुपयों को निकाल लेना आधार कार्ड की आई.डी. मे परिवर्तन कर देना, ए. टी. एम का पासवर्ड तोड़ देना, मोबाइल से डाटा हैंग कर देना और अश्लील हरकरत करना आदि शामिल है। डिजिटल भुगतान की बढ़ती लोकप्रियता के बीच अधिक से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। इसे डेविड- क्रेडिट और इण्टरनेट बैंकिंग के मामले शामिल है। 418.31 करोड़ रुपये की ठगी

डेबिट, क्रेडिट कार्ड और यू पी आई जैसे डिजिटल भुगतान हो हुई। अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक 1,480, 007 मामले सामने आये। वर्ष 2021-2022 तक 816.40 की ठगी 3,59,751 मामले सरकार द्वारा दर्ज हुए। 42 से 20,476 मामले मे इन्टरनेट बैंकिंग मामले होगये। प्रतिवर्ष ठगी के मामले बढ़ते जा रहे है। अधिक से अधिक धोखा घड़ी डेविट कार्ड और अन्य साधनों के माध्यम से हो रहा है। आर. बी. आई साइबर अपराध को रोक के लिए एक नया सरकुलर तैयार करने समें कोशिश की जा रही है? साइबर अपराध राष्ट्र की अखण्डता, सम्प्रभुता सम्पन्नता और समानता को दूषित कर रहा है जिसे भरसक प्रयास से रोका जाये |

सन्दर्भ ग्रन्थ -

एडविन एच. सदरलैंड एण्ड डोनाल्ड आर. क्रेसी - प्रिन्सिपुल्स ऑफ क्रिमिनोलाजी प्र.17

डा राम आहूजा, मुकेश आहुजा -विवेचनात्मक अपराधशास्त्र रावत - पब्लिकेशन जयपुर (1998)

(3) Ahuja Ram: Youth and crime, Rawat Publishers, Jaipur 1996

(4) डी. एस. बघेल -अपराध शास्त्र

5 डा.राम आहूजा - सामाजिक समस्याऐं - (द्वितीय संस्करण) – रावत पब्लिकेशन्स जयपुर एवं नई दिल्ली

16 डॉ० ना० वि० परांजपये - अपराधशास्त्र एवं दण्ड प्रशासन सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स 107, दरभंगा कालोनी इलहाबाद

THE RESEARCH DIALOGUE

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
Volume-2, Issue-1, April-2023
www.theresearchdialogue.com
Certificate Number-April-2023/32

Certificate Of Publication

This Certificate is proudly presented to

रामनरेश

for publication of research paper title

अपराधियों के अपराध का समाजशास्त्रीय शोध के सन्दर्भ में

Published in 'The Research Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and
E-ISSN: 2583-438X, Volume-02, Issue-01, Month April, Year-2023.

Dr.Neeraj Yadav
Executive Chief Editor

Dr.Lohans Kumar Kalyani
Editor-in-chief

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at www.theresearchdialogue.com